

## न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला-गंगापुर सिटी

मु.नं. : 04 / 2024

तारीख रजू 02.04.2024

निर्णय दिनांक 12.04.2024

सरकार बनाम हेमसिंह

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुर वडौदा ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि हेमसिंह पुत्र भागीरथ जाति मीना निवासी डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी ने ग्राम डिवस्या के खसरा नं. 1154 में कुल रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 नाला पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से जेसीबी चलाकर व कुण्डाबनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब इस आशय पेश किया कि प्रार्थी द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है तथा उक्त आराजीयात से लगता प्रार्थी का कोई खसरा नहीं है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।


उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा गै0मु0 नाले की भूमि जो कि सरकारी भूमि है, पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावे एवं इन पर लगान 0.75/- की 50 गुना शास्ति 38/-रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवे। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर 'घ' के पेज संख्या .....  
पर रुपये 38/- की कायमी वर्ष  
2024-25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

  
(सुधारानी मीना)  
तहसीलदार  
गंगापुर सिटी